उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 16 /2019/82/अड़तीस-9-19-05(बजट)/19

लखनऊ : दिनांक-31मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-13** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र), जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

राजस्व लेखा **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्रं0सं0	**लेखा शीर्षक के विवरण**	**बचत/ समर्पित धनराशि**
1	2013-मंत्रि परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय	**0.20**
कुल योग-		**0.20**

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

संख्या- यू0ओ0-ई-2-308(1) /दस-2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया उपर्युक्त धनराशि रू0 0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र), की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

आज्ञा से,

केशव प्रसाद
उप सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-16/2019/82(1)/अड़तीस-9-2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम विकास उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in